

लोक सुनवाई का वृत्त

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 04 लेन बाकरपुर-मानिकपुर सेक्सन के निर्माण हेतु परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 22.08.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड सभागार, प्रखंड कार्यालय, दरियापुर, जिला-सारण में मो0 मुमताज आलम अपर समाहर्ता, सारण की अध्यक्षता में लोक-सुनवाई की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File.No. 10/2/2023-IA.III, dated 21.02.2023 के आलोक में लोक-सुनवाई की गयी। लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं ग्रन्थालय के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। दिनांक 20.08.2023 एवं 21.08.2023 को Miking द्वारा भी लोक-सुनवाई की सूचना स्थानीय आम जनता को दी गयी। प्रभावित क्षेत्र के मुखिया के माध्यम से भी लोक-सुनवाई की सूचना स्थानीय आम जनता को दी गयी। लोक-सुनवाई के दौरान श्री एस. एन. ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुजफ्फरपुर द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

लोक-सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष द्वारा भी लोक-सुनवाई के उद्देश्य तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। अध्यक्ष महोदय के अनुमति से परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री मोईद अहमद ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं विकास कार्य, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिविलिटी आदि के संबंध में आम-जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित राजमार्ग सारण जिला के 22 गाँव से होकर गुजरती है। वर्तमान परियोजना का दायरा सारण जिले के बाकरपुर गाँव के पास NH-19 के सीतलपुर बाईपास चैनेज-0.000 से चैनेज-38.813 मानिकपुर गाँव के पास मुजफ्फरपुर जिले में एसएच-74 में विलीन हो जाती है। सारण जिला में 0.00 से 18.077 किमी तक गुजरेगी। यह एक हरित क्षेत्र संरेखण है।

प्रस्तावित सड़क परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में दूरी और यात्रा के समय को कम करना और दूरदराज के क्षेत्रों और प्रमुख शहरों को जोड़ना है। यह परियोजना क्षेत्रों के विकास एवं इससे संबंधित संसाधनों को उपलब्ध कराती है।

इस परियोजना के अनेकों लाभ हैं:-

- बाकरपुर-मानिकपुर खंड NH-139W टर्मिनल का हिस्सा है, यह NH-727 से जुड़कर समाप्त हो जाएगा जो सीधे नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। यह राजमार्ग देश के अंदर माल ढुलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

2

✓

- NH-139W राज्य की राजधानी पटना और अन्य जिलों को जोड़ता है और हाजीपुर, सारण, वैशाली, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से होता हुआ नेपाल सीमा की ओर जाता है।
- यह परियोजना फीडर मार्ग है जो पटना (राज्य की राजधानी) और बेतिया (प्रमुख शहर) के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो विभिन्न शहरों से जयप्रकाश हवाई अड्डे (पटना) को जोड़ेगी। यह दो NH (NH-19 और NH-727) के बीच एक लिंक रोड के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण पश्चिम बिहार की ओर यातायात प्रभावित होता है। इसके अलावा, सीतलपुर और लालगंज के बीच गंडक नदी पर कोई बड़ा पुल नहीं होने के कारण, इन क्षेत्रों के यात्रियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और ज्यादा समय भी लगता है।
- कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल (गंडक नदी, हरिहरनाथ मंदिर, सोनपुर मेला, अशोक स्तंभ स्तूप, बुद्ध स्तूप, जैन मंदिर, महात्मा गांधी सेतु और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र) प्रस्तावित बाकरपुर-मानिकपुर संरेखण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

यह परियोजना राजमार्ग की प्रस्तावित लम्बाई (सारण जिला में) लगभग 18.077 किलोमीटर है। सारण जिला में कुल अधिग्रहित भूमि 99.2290 हेक्टेयर, प्रभावित वन भूमि 0.9545 हेक्टेयर है। संरेखण किसी वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और इसके पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र से नहीं गुजरता है। परियोजना के दौरान सारण जिला में आर.ओ.बी./आर.यू.बी. (01), छोटे पुल (05), पुलिया-(50), अंडरपास (01) का निर्माण प्रस्तावित है।

परियोजना लागत रु0 1344.46 करोड़ होगा।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)-परियोजना के निर्माण चरण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण जिम्मेदारियों के दौरान प्रस्तावित उपायों के कार्यान्वयन क्रो सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विशिष्ट पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की गयी है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर डिजाईन किया गया है, जिसका लक्ष्य निम्नलिखित है:-

1. देशी वनस्पतियों और जीवों को कम से कम प्रभावित हो।
2. वायु, जल मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण को रोकना और कम करना।
3. सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ वृक्षारोपण I.R.C.SP21 2009 के अनुसार कराया जाएगा जिसमें मार्ग के दोनों तरफ पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के छायादार पौधे लगाए जाएंगे। जिससे वातावरण शुद्ध रहेगा।

शोर का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव प्रत्याशित नहीं है। मिट्टी के काम और निर्माण सामग्री के लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा। यातायात के दौरान सभी निर्माण सामग्री को तिरपाल से ढक कर ले जाया जाएगा। सभी निर्माण मशीनरी को नियत्रण उपकरणों से संचालित किया जाएगा। और किसी गतिविधि से पहले राज्य प्रदूषण नियत्रण पर्षद से सहमति प्राप्त की जाएगी।



निर्माण के दौरान ठोस अपशिष्ट का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सूचित किया गया कि परियोजना अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण सक्षम पदाधिकारी भू-अर्जन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास और रथानांतरण (आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर.) अधिनियम, 2013 के उचित प्रावधानों और राज्य सरकार के संशोधनों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पर लागू आर.एफ.सी.टी.एल.ए.आर.आर. अधिनियम, 2013 की अनुसूचि 1 अनुसार मुआवजे का निर्धारण, अनुसूचि 2 अनुसार पुनर्वास और रथानांतरण सहायता का निर्धारण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिये गये सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैः—

क्रमांक	प्रतिक्रिया / सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री योगेन्द्र प्रसाद मगरपाल— इनके द्वारा सूचित किया गया कि जमीन मालिक को अभीतक नोटिस नहीं मिला है। सबसे पहले जमीन का डी-मार्केशन होना चाहिए। सलाहकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भी व्यवस्था बतायी गयी है, उसका अनुपालन होना चाहिए।	सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि जमीन का डी-मार्केशन हो चुका है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित सभी जमीन मालिकों को विधिवत नोटिस देने के बाद ही जमीन अधिग्रहण किया जायेगा। साथ ही इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बताये गये उपायों को संबंधित विभाग द्वारा अनुपालन कराया जायेगा।
2.	श्री कौशल किशोर सिंह पैक्स अध्यक्ष दरिहारा, श्री दसई सिंह बाकरपुर, श्री रामलखन सिंह बाकरपुर, श्री बिरेन्द्र सिंह बाकरपुर, श्री रामायण कुमार सरैया— इनके द्वारा अवगत कराया गया कि दरिहारा पंचायत में एक 10+2 स्तरीय एक विधालय है, परन्तु इनके द्वारा नक्शा में दो भाग में बाँट दिया गया है। विधालय प्रांगण के बीच से सड़क निकाला गया है जिसके कारण विधालय का अस्तित्व बर्बाद हो रहा है।	इस संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा उपस्थित महानुभावों को अवगत कराया गया कि आपकी भावनाओं को अंकित कर अग्रसारित की जायेगी साथ ही अनुरोध किया जायेगा कि वर्तमान सड़क एलाईनमेन्ट के संबंध में पुनः विचार किया जाये जिससे विधालय का अस्तित्व सुरक्षित रहें। इस संबंध में सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि लोगों को एवं विधार्थी को कोई असुविधा नहीं हो, इसका ख्याल करते हुए विशेष परिस्थिति में अंडर पास का प्रावधान किया जायेगा। परियोजना लोगों की सुविधा, लाभ एवं भावनाओं का ख्याल रखते हुए ही बनायी जाती है।
3.	श्री कामख्या नारायण भटपुरा, श्रीमति राधिका देवी नयका टोला मानपुरा, श्री प्रेम कुमार साह	इस संबंध में सलाहकार द्वारा लोगों को अवगत कराया गया कि जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान सरकारी मूल्य

	बाकरपुर— मेरा जमीन रेलवे भी गया है और फिर सड़क में भी जा रहा है, जिसके कारण मेरे पास खेती करने के लिए जमीन कम पड़ रहा है।	के लगभग चार गुणा राशी प्रभावित लोगों को भूगतान किया जाता है, ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार अन्य स्थल पर मकान या जमीन खरीद सकें।
4.	श्री भूषण राय मानपुरा दरियापुर— जमीन का भूगतान किस दर से किया जायेगा। हमलोग चार भाई हैं। भूगतान किसके नाम से किया जायेगा।	सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी दस्तावेज में जिस भाई का नाम अंकित होगा उन्ही के नाम से भूगतान की जायेगी। वे आपस में समाजंस्य बैठाकर भूगतान की गयी राशी का आपस में बटवारा करेंगे।
5.	श्री अमरनाथ राय कोन्हवा— मेरा जमीन टोपो लैण्ड में पड़ता है। जमीन से संबंधित कोई कागजात मेरे पास नही है। इसका क्या उपाय किया जायेगा।	अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जमीन से संबंधित भूगतान की कारवाई भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा की जाती है। असंतुष्ट होने पर अपनी बात/शिकायत जिला के वरीय पदाधिकारी को दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि यह परियोजना सारण जिले के बाकरपुर गाँव के पास NH-19 के सीतलपुर बाईपास से मानिकपुर गाँव के पास मुजफ्फरपुर जिले में एसएच-74 में मिलेगी। यह एक ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट है, जो मुख्य आवादी से हट कर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। सरकार जमीन अधिग्रहण करती है एवं मुआवजा देती है। मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार दी जाती है। मुआवजा हेतु अलग से कैंप लगाकर भूमि विवाद को सुलझाया जायेगा। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक/समाजिक विकास के लिए एवं सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बताया गया कि आपलोग की बात का ध्यान रखा जाएगा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु बताये गये उपायों को सुनिश्चित कराई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक-सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक-सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

10/01/2023

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद, मुजफ्फरपुर

अपर समाहर्ता
सारण

उपस्थिति सूची

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 लेन सड़क का निर्माण, सारण जिला के बाकरपुर गांव से मुजफ्फरपुर जिला के मानिकपुर गांव तक (कुल लम्बाई 38.813 किमी) का निर्माण से संबंधित लोक-सुनवाई दिनांक 22.08.2023 को पूर्वाहन 11.00 बजे, प्रखण्ड सभागार, प्रखण्ड कार्यालय, दरियापुर, जिला-सारण में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अपरहमाई	सारण	22/08/2023
2.	एस. एन. ठाकुर	लौटदू, लिहार दूर्ग प्रजगनिष्ठा पश्चद-मुक्ता। 22/08/2023	22/08/2023
3.	श्री. एम. डी. आडवा	सारण	22/08/2023
4.	PUNEETKUMAR	NHAI, PIU-Motihari	Puneet Kumar 22.08.2023
5.	Franit Kumar	NHAI, PIU metikheri	Franit 22.08.2023
6.	MOEED AHMED	LASH, Delhi (NHAI Consultant)	Moed
7.	Pradeep Tyagi	NHAI Representative	Tyagi
8.	अमर शर्मा	पोरिया (बालकपुर)	Amar Sharma
9.	Amarmath Ray	कोइडरा (तोडवा)	Amar
10.	चूधरामार्य	मनपुरी	चूधरामार्य
11.	राम अमरदास नारायण द्वारा	मनपुरी	राम अमरदास नारायण द्वारा

12.	ਮੁਕੇਂਦਰ ਰਾਮ	ਮੁਕੇਂਦਰ	ਮੁਕੇਂਦਰ ਰਾਮ
13.	ਜਵਕੁਮਾਰ ਕੌਰ	ਜਵਕੁਮਾਰ	ਜਵਕੁਮਾਰ
14.	Surendra kumar Johar	Bekar Johar	Surendra kumar Johar
15.	ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ	ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ	ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ
16.	ਪਿਤੇ ਸਿੰਘ	ਪਿਤੇ ਸਿੰਘ	ਪਿਤੇ ਸਿੰਘ
17.	ਸ਼ਾਮੈਲ ਕੌਰ	ਸ਼ਾਮੈਲ ਕੌਰ	ਸ਼ਾਮੈਲ ਕੌਰ
18.	ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ	ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ	ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ
19.	ਗਰਿਵ ਸਿੰਘ	ਗਰਿਵ ਸਿੰਘ	ਗਰਿਵ ਸਿੰਘ
20.	ਰਾਮ ਜਨ ਸਿੰਘ	ਗਰਿਵ ਚੌਹਾਣ	ਰਾਮ ਜਨ ਸਿੰਘ
21.	ਨਿਰਾਜ ਕੌਰ	ਨਿਰਾਜ ਕੌਰ	ਨਿਰਾਜ ਕੌਰ
22.	Niraj Kumar Singh	Darihar	Niraj Kumar Singh
23.	Jitender Singh	Darihar	Jitender Singh
24.	Bittu Kumar	KONHIA	Bittu Kumar
25.	ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ	ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ	ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ
26.	ਅਜੀਂ ਕੌਰ	ਅਜੀਂ ਕੌਰ	ਅਜੀਂ ਕੌਰ

27.	Amiab ૦૧૨ ૨૯૨૧૮૧૩૫૬	Amiab ૦૧૨ ૨૯૨૧૮૧૩૫૬
28.	Arun Kumar Singh Sultanpur	Arun
29.	Kundan Kumar Manpura S/o - Ramzanuddin	Kundan
30.	Birendra Kumar Singh S/o Late Nitin Nath Singh Manpura	Birendra K. Singh
31.	31.21.11	—
32.	મીદા કુમાર મહેતા	મીદા કુમાર મહેતા
33.	નિલયાં ડે	નિલયાં ડે
34.	નિલયાં કૃષ્ણ	નિલયાં કૃષ્ણ
35.	નિલયાં મેન્ડ	નિલયાં મેન્ડ
36.	Rahul Kr. Thakur	Rahul
37.	31.22.૭.૮૨	31.22.૭.૮૨
38.	૨૫૨૦૮૪૧૫	૨૫૨૦૮૪૧૫
39.	કોમતા કુમાર દિપ્પિ	કોમતા કુમાર દિપ્પિ
40.	માધવાન	માધવાન
41.	કૃતી વિજાન	કૃતી વિજાન

42.	पुराना गांव द्वारा प्रदूरा मनपूरा		
43.	पुराना दाम	मनपूरा	
44.	राजकुमारीय	मनपूरा - अटोला	
45.	सोनाय राय	॥	॥
46.	दिलीप कुमार	॥	॥
47.	नामाला राय	॥	॥
48.	उमेश राय	॥	॥
49.	रघुकुमार	॥	॥
50.	शुभेष राय	॥	॥
51.	अमर राय	॥	॥
52.	रघुवीर राय	।	
53.	बोधनीलकार		
54.	उमेश राय		
55.	निलाला कुमार	गोपेश्वर	Mash Kumar
56.	विपिल कुमार	गोपेश्वर उमेश	Vipin Kumar

57.	सलेन्द्र पूराम	मनपुरा लगा हीला-	सलेन्द्र पूराम
58.	नितेश कुमार	मनपुरा लगा हीला	नितेश कुमार 9939270366 3338405458
59.	कवीरा राय	मनपुरा लगा हीला	2910266293
60.	राजेश कुमार	मनपुरा 1201	8651601434
61.	दुप्पा डाइ	दोड्डों	दुप्पा डाइ
62.	सनोज कुमार प्रभु मानपुरा लगा हीला		7667816418
63.	मनपुरा लगा हीला	मनपुरा लगा हीला 434326622	
64.	मनपुरा लगा हीला	मनपुरा लगा हीला	829495858
65.	रघुनेत्र कुमार	मनपुरा	9113475772
66.	राम शुभेश्वर	मनपुरा	8757756394
67.	उपेन्द्र कुमार	रेसिट्रेशन	7739994275
68.	Ramayon Kumar	रामायण	8825212440
69.	विकास कुमार दास	सर्नारायण	
70.	Vikash Kumar	SARNARAYAN दास/हासा	7352306081
71.	दिनेश कुमार	दानिहानी भूमा	7779872459

72.	મનોજ કુમાર શ્રી	મનપુરા	8235886474
73.	અષ્ટુ રવા	મનપુરા	7643866251
74.	મનોજ કુમાર	મનપુરા	9525068325
75.	આદેશ કુમાર	માનપુરા	62010227340 220000
76.	રાહુલ કુમાર	માનપુરા	822948360 93
77.	ડિનોફાલો	માનપુરા	7004232615
78.	દ્રિબીજાલો	માનપુરા	8709307710
79.	કૃત્યા કુમાર	માનપુરા	9504575141
80.	બલદુરસા	માનપુરા	8083352998
81.	દ્રોણાલો	માનપુરા	9263337003
82.	દ્રોમનો	માનપુરા	
83.	દ્રોપિરામ	માનપુરા	9601042436
84.	Baldev Kumar	Manpura	
85.	21026715	માનપુરા	9088871967
86.	21026715	માનપુરા	9092163767

87.	बिल्हारी श्री. माधव राव कोऱ	मुरैदारी अपारा	8578939526
88.	निष्ठा शर्मा	मुरैदारी अपारा	9846555828
89.	अष्टोका राम	मुरैदारी विद्यालय	7494039254
90.	विजय कुमार	मुरैदारी अपारा	6202744879
91.	धौरा कुमार	मुरैदारी विद्यालय	8757814595
92.	मधु कुमार	मुरैदारी विद्यालय	7250573296
93.	राम कुमार	मुरैदारी विद्यालय	8235713155
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			
101.			